



षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-21.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री नन्द किशोर यादव,
स०बि०स०

समान कल्याण विभाग के पत्रांक-440, दिनांक-16.02.2012 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से सचिव, समान कल्याण विभाग का पत्रांक-2509, दिनांक-30.05.2013 एवं दिनांक-13.05.2015 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के लिए कोई प्रमाण-पत्र नहीं मांगना है किन्तु आर०टी०पी०एस० कार्ड पर (क) पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (ख) मतदाता पहचान पत्र एवं (ग) आय प्रमाण-पत्र, जो 59,000/- रुपये का हो, की अवैध रूप से मांग की जाती है। आर०टी०पी०एस० सेवा होने के कारण 45 दिनों में आवेदन का निस्तारण करना है किन्तु आवेदन के निस्तारण में दो-दो साल लग जाता है तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र वर्ष 2002/2003/2006/2007/2012 अर्थात् पुराना है, की अधियुक्ति के साथ राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विधवा बहनों का आवेदन रद्द कर दिया जाता है।

अतः लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना में राज्य के अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने तथा सरकार के अनुरोध के आलोक में विधवा पेंशन की स्वीकृति हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री अजीत रामा, स०वि०स० श्री सदानंद सिंह, स०वि०स०
- भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड के मड़वा गांव के श्री प्रमोद राय, वरीय अधिवक्ता की दिनांक-15.03.2016 को शाम 5.30 बजे अप० में नवगछिया न्यायालय से अपने घर मड़वा ग्राम में लौटते वक्त एन.एच. 31 पर दफालपुर चौक के समीप जायलो गाड़ो पर सवार पांच अपराधियों के द्वारा उनकी कार को ओधरटेक करते हुए दो गोली मार कर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
- अतः प्रमोद राय, वरीय अधिवक्ता की हत्या एवं सलिलता को जांच निगरानी विभाग से कराते हुए हत्यारों एवं साजिश में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई करने हेतु हम सरन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

राजीव कुमार

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/16-

573

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / सचिवगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकामुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-15/16-

573

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

